आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों एवं तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा संभागीय मंडी सचिवों साथ दिनांक 17/03/2025 को आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों तथा तकनीकी संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय मंडियों के मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 17-03-2025 को अपरांह् 04:00 बजे मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, चीफ प्रोग्रामर, उप संचालक, सहायक संचालक तथा आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक एवं तकनीकी संभाग से कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री तथा संभागीय मुख्यालय की मंडियों के सचिव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे। बैठक में अग्रलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गईः-

<u>1.विधानसभा आश्वासनः-</u> समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक 07 दिवस में अद्यतन स्थिति के साथ विधानसभा आश्वासन की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा शाखा द्वारा उक्त आश्वासनों को ई-फाईल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा जिससे की गई कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जा सके। आश्वासनों की संभागवार समीक्षा में जबलपुर के 12 आश्वासन, उज्जैन के 05, भोपाल से 05, ग्वालियर के 03, सागर का 01, रीवा के 03 एवं इंदौर से 04 आश्वासनों की जानकारी प्राप्त होना है। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक, प्रबंध संचालक के नाम से डीओ लेटर द्वारा आश्वासन की अद्यतन स्थिति 01 सप्ताह में आगामी समय-सीमा बैठक से पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे अगर आश्वासन की जानकारी पूर्व में प्रस्तुत कर दी गई है तो अद्यतन स्थिति के साथ पुनः प्रेषित करेंगे। आगामी समय-सीमा बैठक में पुनः समीक्षा की जाएगी। उपसंचालक विधानसभा उक्त कार्य की मॉनिटरिंग करें। **(कार्यवाही विधानसभा शाखा)**

<u>2.सी.एम.हेल्पलाइन पोर्टलः-</u> समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक स्वयं मॉनिटरिंग करें की कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कोई शिकायत लंबित नहीं हो। पूर्व में एल-3 लेवल पर शिकायतों को अंतरित किया गया है। उक्त सभी शिकायतों में समय-सीमा में कार्यवाही अपेक्षित है। समाधान ऑनलाईन वाले विषयों पर भी गंभीरता के साथ त्वरित कार्यवाही की जाए। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एक-एक शिकायत की समीक्षा करें एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें। **(कार्यवाही समन्वय शाखा)**

<u>3.मंडी समितियों द्वारा बजट से अधिक व्ययः-</u> प्रायः देखने में आ रहा है कि मंडी समितियो द्वारा वर्ष 2024-25 के स्वीकृत बजट से अत्यधिक व्यय किया जा रहा है जिसमें

देवास, रायसेन, अशोकनगर, गुना, शुजालपुर, रायसेन, टीकमगढ, सीहोर, हरदा, शाजापुर, बदनावर, छिंदवाडा, बरेली, मंदसौर, बैरसिया, श्योपुर, औबेदुल्लागंज, खिरकिया, कोलारस, शाहपुर-भिटोनी, सैलाना, पिपल्या, नरसिंहगढ, करेली इत्यादि मंडी समितियो में आर्थिक अनियमितता परिलक्षित हो रही है। अपर संचालक (वित्त) सभी मंडी समितियों के व्यय सीमा का परीक्षण करें एवं जिन मंडी समितियों ने स्वीकृत व्यय-सीमा से 25 प्रतिशत तक अधिक खर्च किया है उन सभी मंडी सचिवों का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करें एवं इससे अधिक व्यय सीमा होने पर संबंधित मंडी सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।**(कार्यवाही वित्त शाखा)**

4.ई-मंडी:- 01 अप्रेल 2025 से समस्त मंडी समितियां ई-मंडी के रूप में कार्य करेंगी उक्त के संबंध में समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक परीक्षण कर लें। सभी मंडियो में पीओएस मशीन की व्यवस्था पूरी कर ली जाए। मंडी समितियां अपने स्तर पर ही पीओएस मशीन की व्यवस्था पूरी करें पीओएस मशीन खरीदी की केन्द्रीय कृत व्यवस्था नहीं करें, आंचलिक संयुक्त संचालक उक्त कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। समस्त आंचलिक कार्यालयों में 20.03.2025 से कंट्रोल रूम स्थापित कर एक सक्षम कर्मचारी को नियुक्त करें जो प्रतिदिन अपने संभाग की समस्त मंडी समितियों से दूरभाष पर ई-मंडी के संबंध किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग करेगा एवं ई-मंडी हेतु आवश्यक कार्य की चेक लिस्ट बनाएगा एवं उस चेक लिस्ट की मॉनिटरिंग आंचलिक संयुक्त संचालक करेंगे। 01 अप्रेल 2025 से समस्त मंडी समितियां ई-मंडी के रूप में कार्य करेंगी उक्त व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो इस हेतु संबंधित मंडियों के समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक ई-मंडी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक मंडी में एक कर्मचारी एवं मंडी सचिव स्वंय इस कार्य के संबंध में जानकारी रखें।**(कार्यवाही समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक/मंडी सचिव एवं मुख्यालय एम.आई.एस शाखा)**

अन्य महत्वूपर्ण निर्देश:-

- उपसंचालक, आंचलिक कार्यालय इंदौर को समय-सीमा अंकित प्रकरण दिनांक 08.01.2025 सनावद में कृषक भुगतान व्यतिक्रम करने वाली फर्म से वसूली नहीं कराए जाने के संबंध में कार्यवाही नहीं किए जाने पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करें। **(कार्यवाही स्थापना शाखा)।**

- समय-सीमा में अंकित ऐसे प्रकरण जिनमे अधिक समय लगने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है,का कारण उल्लेख करते हुए उक्त प्रकरणों की नोटशीट प्रस्तुत कर कार्यवाही में अतिरिक्त समय की स्थिति से अवगत कराया जाए।
(समस्त शाखा मुख्यालय)

- मंडियों के अंदर किसानों के भुगतान नहीं होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। आंचलिक संयुक्त संचालक को निर्देशित किया जाता है कि जिन व्यापारियों/फर्मों द्वारा किसानों से खरीदी का भुगतान लंबित है या नहीं हुआ है उसे पूर्ण कराएं एवं समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर संबंधित व्यापारी/फर्म के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें साथ ही मंडी सचिव सुनिश्चित करें कि मंडी के अंदर किसानों को भुगतान संबंधी परेशानी नहीं हो साथ ही इस संबंध में भुगतान संबंधी निर्देश जारी करें। **(कार्यवाही नियमन शाखा)**

- कई आंचलिक कार्यालयों से गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है जिनमें इंदौर संभाग से 47 गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है, इसी प्रकार उज्जैन से 19, भोपाल से 17 जबलपुर से 09 एवं ग्वालियर तथा सागर से 07 गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक समय-सीमा में गोपनीय प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें एवं संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी भी अपने गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को भेजकर कर पूर्ण कराएं। **(कार्यवाही स्थापना शाखा)**

- समस्त आंचलिक कार्यालयों से फरवरी माह से बायो-मेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन-भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई जिसमें समस्त आंचलिक कार्यालयों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त व्यवस्था को लागू कर दिया गया है एवं वेतन भुगतान बायो-मेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जा रहा है।

- वर्तमान में खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ है समस्त आंचलिक संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने संभाग की मंडियों में यह सुनिश्चित कराएं कि किसानों के लिए मंडियों के अंदर पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था हो, छाया हेतु शेड हों एवं शौंचालय की व्यवस्था ठीक हो।

- समय-सीमा के प्रकरणों की शाखावार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा से विलोपित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय सीमा/मार्च/ 2170 भोपाल, दिनांक 20/03/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री/संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. उप संचालक/ कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री/प्र. कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त) ।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल